राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ)

दिनांक 19 .07.2022

कमांक: एफ89 / अभि. / LM-05(74)/2022

आदेश

विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण संख्या 74 / 2022 दिनांक 28.02.2022 मैसर्स दक्ष इन्जिनियरिंग रिपेयर वर्क्स जयपुर में प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध 10 दिवस की अवधि में कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 13.05.2022 को नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरण निस्तारण हेतु संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को दिनांक 26.06.2022 व 01.07.2022 को पत्र जारी किये गये।

दर्ज प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं विश्लेषण किये जाने पर प्रथमतः विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत बनाये गये राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमों 2011 के नियम 11 के तहत जारी की गई अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लघंन पाया गया है। अतः मैसर्स दक्ष इन्जिनियरिंग रिपेयर वर्क्स जयपुर को जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या 2020–21 / 696 के निरस्तीकरण कार्यवाही को विचाराधीन रखते हुए अनुज्ञप्ति को 3 मास की कालावधि के लिए निलम्बित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

(चंद्रीराम जेसवानी)
उप नियंत्रक

दिनांक 19 .07.2022

कमांक: एफ89 / अभि. / LM-05(74)/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, निदेशक एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (प्रकोष्ठ) उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमति आस्था मिश्रा, सहायक प्रोग्रामर को मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन पर आवश्यक कार्यवाही करने के कम में प्रेषित है।
3. निरीक्षक श्री अमित चौधरी जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है उक्त संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. शाखा प्रभारी श्री ज्ञान सिंह को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली पर दर्ज प्रकरण को नियमानुसार नम्बर पर लेते हुए निस्तारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

उप नियंत्रक

उपभोक्ता मामले विभाग, आरटीडीसी मुख्यालय का प्रथम तल (स्वागतम होटल परिसर), जयपुर, राजस्थान,
ई–मेल आई.डी. E-mail ID - dclm.hq1@rajasthan.gov.in /dcpodgmjaipur@gmail.com दूरभाष नं. : 0141–2209745

Scanned with CamScanner